

कैम्प कार्यालय जनपद न्यायाधीश, एटा।

प्रशासनिक आदेश निल दिनांक: 24.04.2020
आ दे श

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रेषित ई मेल नं० पी एस (आर०जी०)/ 46/ 2020 इलाहाबाद दिनांकित अप्रैल 23, 2020 के अनुसार पी०आई०एल० नं० 564/ 2020 इन री प्रति उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांकित 26.मार्च 2020 का क्रियान्वन लॉक डाउन की अवधि दिनांक 03.05.2020 तक अग्रसारित किया जाता हैं। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा पारित अग्रिम जमानत आदेश, अल्पावधि जमानत आदेश, इसी क्रम में बेदखली आदेश, स्थगन आदेश, ध्वस्तीकरण आदि सम्बन्धी आदेश जो उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय एवं सिविल कोर्टस द्वारा पारित किये गये हैं एक माह की अवधि तक बढ़ाये जाते है।

इस आदेश की छाया प्रति केन्द्रीय नाजिर द्वारा गेट नं० 2, 3 व 5 पर चस्पा कराई जावे। सूचना इलैक्ट्रोनिक मीडिया/ दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ भेजी जावे तथा सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय की वेब साइट पर अपलोड करें।

(रेणु अग्रवाल)
जनपद न्यायाधीश, एटा
24.04.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

- 1- जिलाधिकारी, एटा।
- 2- कारागार अधीक्षक, एटा।
- 3- सचिव, डी०एल०एस०ए०, प्रकाशनार्थ
- 4-अध्यक्ष /सचिव कलक्ट्रेट बार एसोसियेशन
- 5- 24. 4. 2020

True Copy
C.A.O. 24/04/2020
Etah Judgeship
ETAH